14-8-19

वकील वादीगण उप०। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। वाद पत्र में अंकित विवादित खाता
में से जो रहा खाता निरस्त करवाकर अपने खाते
में दर्ज करवाना चाहता है। खाता निरस्त किये
जाने का कार्य नहरी विभाग के अधिकार का है
जिन्हें आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया
है अतः वाद में सिंचाई विभाग को पक्षकार
नहीं बनाये जाने तथा न्यायालय को क्षेत्रा-
धिकार नहीं होने के कारण मौजूदा सूरत में वाद
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शामिल हो।

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
रायसिंह[नगर]